

किया गया। जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 01.09.2015 पर आपत्ति/उज्र पेश नहीं किया गया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि मृतक प्रभूदान सिंह पुत्र हरबक्श जाति चारण राजपूत की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 01.09.2015 के बाबत प्रभूदान सिंह के वारिसानों में कोई विवाद नहीं है, कोई उज्र नहीं है, किसी दीगर न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। अतः श्री रामसिंह पुत्र प्रभूदान सिंह जाति चारण राजपूत की वसीयत में वर्णित आराजियान का राजस्व रिकार्ड अमल दरामद कराने का अधिकारी है। भू-राजस्व लगान आदि का भी निर्धारण किया जा सकता है। अतः रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 01.09.2015 में वर्णित आराजियात का राजस्व रिकार्ड अमल दरामद श्री रामसिंह पुत्र प्रभूदान सिंह जाति चारण राजपूत निवासी चारणवास निवासी करणी कॉलोनी धोकरिया मोर्टस के पीछे न्यू मण्डी रोड़, दौसा तहसील दौसा के नाम कि जाने को पटवारी हल्का खुरी कलां को आदेशित किया जाता है। पटवारी हल्का खुरीकलां व तहरीर जारी की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमी प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 13.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय

13/10/17  
(देवी सिंह)  
तहसीलदार  
दौसा